FORM

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

बनाम ग्राम पंचायत सहापुर

किस्म मुकदमा दावा नं. 111/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	तारीख व तारीख जिस दिन हुक्म की तामील में जारी हुई
[illegible]	दावा वादी का दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी का पक्ष समन तलब किया जावे, पत्रावली दिनांक 18/12/19 को पेश हो।	
18/12/19	पैरोकार सरकार आफिसर, श्री विकास अधिकारी ग्रा० पं० सहापुर आफिसर उनके द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र अपनी सहमति पत्र की तथ्य दावा स्वीकार करने पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। उनके पत्रावली का अवलोकन किया तथ्य प्रस्तुत रिकार्ड पर गौर किया इस दावा से सहमत है तथ्य दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं उत्पन्न है। अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम धारपुरा तहसील राजाखेड़ा के खसरा नम्बर 2325/2214 चरागाह को प्रस्तावनुसार दो भागों में नवीन खसरा नम्बर 2325/2214/1 रकबा 2.14 बीघा, व 2325/2214/2 रकबा 6.15 बीघा नकशे में करने के आदेश एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दो नम्बर करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा को दावा एवं निर्णय की प्रति भेजी जावे। नकल हेतु प्रार्थी को प्रति भी भेजी जावे। पत्रावली कैफियत नुमार अंकित आदेश उपरांत उक्त सुनाया गया।	दावा से हम सहमत है हमें कोई आपत्ति नहीं है। M/ ग्रा० वि० अ० सहापुर (भगवान सहाय)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)